न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 224 / 2019

बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक,
शाखा– वैशाली नगर, अजमेर (राज.)
जरिये प्राधिकृत अधिकारी .....प्रार्थी / सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

(1) मैसर्स नाजिया पोल्ट्री फार्म प्रो0 श्री मौहम्मद रमजान पुत्र श्री अब्दुल हफीज
पताः– सरकारी स्कूल के पास, ग्राम गेगल, तहसील अजमेर, जिला अजमेर (राज0)
(2) श्री रशीद पुत्र श्री हनीफ
पताः– सरकारी स्कूल के पास, ग्राम गेगल, तहसील अजमेर, जिला अजमेर (राज0)
(3) श्री कुतुबुद्दीन पुत्र श्री फखरूद्दीन
पताः– प्रेसिडेन्सी स्कुल के पास, गेगल थाने के पास, ग्राम गेगल, तहसील अजमेर, जिला अजमेर (राज0)
.....अप्रार्थीगण (ऋणी)

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूराईटेशन रिक्सट्क्शन आफ फाईनेनिशयल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित :– श्री सत्येन्द्र खोरानियॉ अभिभाषक प्रार्थी

दिनांक 30.12.2019

आदेश

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण मैसर्स नाजिया पोल्ट्री फार्म प्रो0 श्री मौहम्मद रमजान पुत्र श्री अब्दुल हफीज एवं श्री रशीद पुत्र श्री हनीफ, निवासीः– सरकारी स्कूल के पास, ग्राम गेगल, तहसील अजमेर, जिला अजमेर (राज0) को दिनांक 22.06.2018 को सावधि ऋण खाते में रू 25,00,000 / –(अक्षरे रूपये पच्चीस लाख मात्र) एवं नकद साख ऋण खाते में रू 55,00,000 / –(अक्षरे रूपये पचप्पन लाख मात्र) कुल ऋण रू 80,00,000 / –(अक्षरे रूपये अस्सी लाख मात्र) की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। इस हेतु अप्रार्थीगण / ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजात निष्पादित कर ग्राम गेगल, तहसील अजमेर, जिला अजमेर (राज0) के खसरा नं0 317 स्थित आवासीय सम्पत्ति (क्षैत्रफल 138.88 वर्गगज), जिसका पटटा नं0 21 श्री मौहम्मद रमजान पुत्र श्री अब्दुल हफीज के नाम से है, जिसके पूर्व में– श्री अहम रजा की सम्पत्ति, पश्चिम– श्री शरीफन की सम्पत्ति, उत्तर –रास्ता, दक्षिण –श्री अहमद हुसैन की सम्पत्ति, को बतौर जमानत प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखा था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी बैंक को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और बकाया ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व चूक कर दी और दिनांक 08.07.2019 को डिफाल्टर हो गये। प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण / ऋणी को दिनांक 20.08.2019 को रजिस्टर्ड मांग नोटिस सावधि ऋण खाते में रूपये 27,17,513 / –(अक्षरे रूपये सताईस लाख सतरह हजार पांच सौ तेरह मात्र) एवं नकद साख ऋण खाते में रूपये 60,72,282 / –(अक्षरे रूपये साठ लाख बेहत्तर हजार दो सौ बयासी मात्र) कुल ऋण 87,89,795 / –(अक्षरे रूपये सत्यासी लाख नवासी हजार सात सौ पिचानवे मात्र)का जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की। ऋणी द्वारा बंधक

जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner

सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नहीं सम्भलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रार्थी प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थीगण ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी बैंक को जमा नहीं कराया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक के पक्ष में उक्त रहन रखी सम्पति का अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगण द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक सम्पति ग्राम गेगल, तहसील अजमेर, जिला अजमेर (राज0) के खसरा नं0 317 स्थित आवासीय सम्पत्ति (क्षैत्रफल 138.88 वर्गगज), जिसका पटटा नं0 21 श्री मौहम्मद रमजान पुत्र श्री अब्दुल हफीज के नाम से है, जिसके पूर्व में– श्री अहम रजा की सम्पत्ति, पश्चिम– श्री शरीफन की सम्पत्ति, उत्तर –रास्ता, दक्षिण –श्री अहमद हुसैन की सम्पत्ति, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हस्ब कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 30.12.2019 को सुनाया गया।

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner